राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–370/2016..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मै0 गुजरात महाराष्ट्र फ्रेट कैरियर्स, हेमकुंज, गली नं0 5–6, एम.आई. नगर, भईंदर, ईस्ट, थाणे, मुम्बई

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/02/2016	<u>एकलपीठ</u> **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या एस–224/AA-I/NRD/15-16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.01.2016 को वाहन संख्या एच.आर.38/के–8578 को बहरोड़ में चैक किये जाने पर वाहन में परचून माल लदा पाया गया। वाहन चालक द्वारा माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनके अनुसार माल का परिवहन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिये किया जा रहा था, किन्तु माल के साथ संलग्न पर्ची में 'भीलवाड़ा' अंकित पाये जाने के आधार पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राज्य का परिवहन मिथ्या दस्तावेजों के द्वारा अजमेर के लिये किया जाना अवधारित करते हुए कर रूपये 1,86,595/– एवं धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 5,25,042/– कुल रूपये 7,11,637/– का आरोपण आदेश दिनांक 29.01.2016 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4), अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.02.2016 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में अवशेष बकाया मांग राशि रूपये 6,92,977/– की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री विक्रम गोगरा ने कथन किया कि माल का परिवहन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिये किया जा रहा था, जिसमें राज्य के कर का किसी प्रकार का अपवंचन नहीं किया जा रहा था। माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या/कूटरचित प्रमाणित किये बगैर सक्षम अधिकारी ने माल का परिवहन राज्य के लिये किया जाना अवधारित करते हुए शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में बताते हुए, बकाया मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–370 / 2016..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मै0 गुजरात महाराष्ट्र फ्रेट कैरियर्स, हेमकुंज, गली नं0 5–6, एम.आई. नगर, भईंदर, ईस्ट, थाणे, मुम्बई

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17 / 02 / 2016	प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच माल के दागिने पर 'भीलवाड़ा' अंकित पाया गया, जबकि दस्तावेज राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के बने हुए पाये गये। माल के प्रेषक व प्रेषिति व्यवहारियों के सत्यापन बाबत नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा असमर्थता जाहिर की गई। प्रेषक व प्रेषिति व्यवहारियों के सत्यापन का दायित्व अपीलार्थी व्यवहारी पर है, जिसमें वह पूर्णतः असफल रहा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी का असहयोगात्मक रवैया रहा। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मिथ्या दस्तावेजों के द्वारा माल का परिवहन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार कर व धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने, अपीलीय आदेश व कर निर्धारण आदेश का अवलोकन करने के पश्चात, प्रकरणों में कर के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। केवल धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना**, *अपीलार्थी द्वारा* प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 6,92,977 / – में से कर राशि रूपये 1,86,595 / – जमा कराने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तथा शेष राशि बाबत सक्षम अधिकारी के संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य	